

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या 46/18
पीठासीन अधिकारी:- साधुराम जाट, आर.ए.एस.
दायरा दिनांक 23.02.2018 निर्णय दिनांक 28.09.2018

1 किशनसिंह पुत्र शीशराम जाति ब्राहमण निवासी रानोठ तह0 मुण्डावर,अलवर
वादी-

बनाम

1 राज्य सरकार जयें लैण्ड होलडर तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर
प्रतिवादी-

दावा-इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.09.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आराजीयात ख0न0 1056/22/0.24,1060/23/0.01,148/1.10,143/0.44,144/0.07,145/1.14,1063/387/0.20,1067/395/0.19,936/240/1.01, है0 वाके ग्राम रानोठ तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त विवादीत आराजीयात मे वादी का दर्ज नाम रामकिशन पुत्र शीशराम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं रामकिशन पुत्र शीशराम के बजाय किशनसिंह पुत्र शीशराम दर्ज रिकॉर्ड किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे”

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.09.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट) 28/9/18
उपखण्ड अधिकारी एवं डायरी अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0
मुण्डावर (अलवर)